

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पीठ संशो0/1471/2024, लखनऊ :: दिनांक-दिसम्बर 12, 2024

संशोधित आदेश

श्री अजय विक्रम सिंह, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, लखनऊ पीठ प्रथम, लखनऊ के सम्बन्ध में न्यायिक विभाग के पोर्टल से सूचना प्राप्त हुई है कि दिनांक 16.12.2024 से दिनांक 25.01.2025 तक उपार्जित अवकाश पर रहेंगे।

मुख्यालय के आदेश सं0 1284 दिनांक 04.11.2024 द्वारा लखनऊ के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु दिनांक 23.12.2024 से दिनांक 27.12.2024 तक की गठित लखनऊ युगल पीठ में न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ प्रथम, लखनऊ को नामित किया गया है।

अतः न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ प्रथम, लखनऊ के उक्त अवधि में उपार्जित अवकाश पर रहने के कारण पूर्व निर्गत आदेश सं0 1284/2024 दिनांक 04.12.2024 को आंशिक रूप में संशोधित करते हुए जनपद लखनऊ में दिनांक 23.12.2024 से 27.12.2024 तक गठित युगल पीठ में न्यायिक सदस्य, पीठ प्रथम लखनऊ के स्थान पर अधोहस्ताक्षरी स्वयं सम्मिलित रहेंगी। शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/-12.12.2024
(प्रतिमा श्रीवास्तव)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक :: यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ प्रथम, द्वितीय व तृतीय, लखनऊ।
- 2- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी मुख्यालय।
- 3- संबन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।